दैनिक भास्कर जमशेदपुर 07-02-2021

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम
जमशेदपुर

(कृषि प्रभाग)

इच्छा की अभिव्यक्ति की सूचना

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची का पत्रांक 34 दिनांक 10.12.2020 के आलोक में झारखण्ड राज्य में एग्री क्लीनिक योजना प्रारंभ की जा रही है। जिसका उद्देश्य है किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों के उपज एवं आय में वृद्धि करना है। इस योजना अन्तर्गत सभी जिलों में अनुमण्डल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। जिसके अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध करायी जाएगी।

योजना का लाभ – एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित जानकारी पहूँचाई जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल 45 अनुमंडल में ई–मोबाइल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार के दायरे में आ जाऐंगे। इसके पश्चात जो भी समसमायिक कृषि विषयक सूचनाएँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहूँचाना चाहेगी जो भी वह सूचना उनके मोबाईल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस– यथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज खाद, कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन / डेयरी / मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए दो एग्री क्लीनिक की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है जिसके लिए प्रति एग्री क्लीनिक 07 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त है।

एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसी / संस्थाओं द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला समूह / स्वयं सहायता समूह / कृषक समूह / सहकारी समितियाँ / गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) हो सकते है कार्यकारी एजेंसिओं / संस्थाओं का चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिठी द्वारा किया जाएगा।

चयनित संस्थाओं की योग्यता –

- चयनित एजेंसिओं / संस्थाओं की एग्री क्लीनिक के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो / कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- चयनित एजेंसिओं / संस्थाओं को काली सूची में नहीं रखा गया है इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- चयनित एजेंसिओं / संस्थाओं को पूर्व के तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।
- चयनित एजेंसिओं / संस्थाओं को अपने फर्म का पंजीकरण से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
- उक्त कार्य हेतु चयनित कमिटी का निर्णय मान्य होगा।

दल की संरचना – एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा उनमें कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक कर्मी की न्युनतम योग्यता B.Sc (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्युनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्युटर दक्षता (DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्यवधि सुबह 9:00 बजे पूर्वाहन से शाम 5:00 बजे तक होगी। रविवार एवं N.I.Aबज के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बन्द रहेगा।

दिनांक 15.02.2021 को कार्यालय अवधि 10:00 बजे से 5:00 बजे अपराहन तक एग्री क्लीनिक संचालन से संबंधित आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय में समर्पित किया जा सकता है।

अन्य आवश्यक जानकारी हेतु पूर्वी सिंहभूम NIC के वेबसाइट Jamshedpur.nic.in एवं आत्मा, पूर्वी सिंहभूम के वेबसाइट atmapurbisinghbhum.org.in में अपलोड राज्यादेश 34 दिनांक 10.12.2020 में देखा जा सकता है।

जिला कृषि पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

PR 241003 Agriculture(20-21).D